

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5527

जिसका उत्तर मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

**दोषपूर्ण सीएनजी किट**

**5527. श्री कंवर सिंह तंवर:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अधिकांश वाहनों में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) किट अनाधिकृत एजेंसियों द्वारा लगाई जाती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन दोषपूर्ण सीएनजी किटों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं;
- (घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त अवधि के दौरान अनाधिकृत एजेंसियों द्वारा लगाई गई सीएनजी किट के जब्त किए गए/सीएनजी किट लगाए गए वाहनों की संख्या कितनी है और अनाधिकृत एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)**

(क): जी, नहीं। मौलिक उपकरण विनिर्माता (ओईएम) अनधिकृत एजेंसियों से संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) किट लगाने की सिफारिश नहीं करते हैं क्योंकि वाहनों को उत्सर्जन और सुरक्षा विनियमनों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाता है तथा उनकी पुनर्रचना की जाती है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ): ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

\*\*\*\*\*